

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० ..... 615 / 2017

धारा 107 द.प्र.स.

क्र.सं.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
12.4.17	श्री कचरों सिंह बनाम तराचरों सिंह ..... कारिया ..... थाना अप्राथमिकी सं० 22/17	31.5.17 10/6/17 22/6/17 8/7/17 24/7/17 10-8-17 29/8/17 8/9/17 22/9/17 10/10/17 24/10/17 9/11/17 22/11/17 समाप्त
	प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स० अ० नि०/अ० नि० ..... कारिया ..... ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी ..... कारिया ..... थाना एवं अ० निरी० ..... कारिया ..... ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच ..... ..... जर्मन विवाह कर ..... लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक ..... 11.5.17 ..... को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद

TR-116/17

22/11/13 - प्रथम पत्र की राजदी है  
द्वितीय पत्र अत्र है

कालवादिना लीने के कारण वाद की  
कार्यवाही न्यायादि, पूर्व कार्यदि में  
व्युत्पन्न की जाती-ती लया वादें वाद  
की जाती ।

fen  
22/11/13